

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /2023/ 121 दायर दिनांक 13/7/23

धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपवान कालीबाई जयें पुत्र पूरीलाल पिता लक्ष्मीनारायण लोहार नि० गोपालपुरा
तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड़ राज०

-: आदेश :- दिनांक 13/7/2023

प्रार्थी कालीबाई जयें पुत्र पूरीलाल पिता लक्ष्मीनारायण लोहार नि० गोपालपुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रोशनबाड़ी पटवार मण्डल कडोदिया तहसील रायपुर की जमाबन्दी सन्वत् 2073-76 में खाता संख्या 61 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी के माता का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम/ पटवार मण्डल/ तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम रोशनबाड़ी पटवार मण्डल कडोदिया तहसील रायपुर	61	ताराबाई पत्नि स्व. लक्ष्मीनारायण	कालीबाई पत्नि स्व. लक्ष्मीनारायण

क्रमांक:- राजस्व/2023/ 121

प्रतिलिपी निम्न को पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)
दिनांक 13/7/23

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

